



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102025-266733
CG-DL-E-07102025-266733

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 298]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 30, 2025/आश्विन 8, 1947

No. 298]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 30, 2025/ASVINA 8, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2025

मामला सं. – एडी (ओआई)-38/2025

विषय: मलेशिया और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "चिकित्सा जांच रबर दस्ताने" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 6/43/2025-डीजीटीआर.--समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (क्षति के निर्धारण के लिए पाटित सामानों पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रह) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" या "पाटनरोधी नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, मेसर्स नवको इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स वाडी सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड ने मलेशिया और थाईलैंड (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "रबर दस्तानों की चिकित्सा जांच" (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" या "संबद्ध सामान" कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष आवेदन-पत्र -पत्र दायर किया है।

आवेदकों ने आरोप लगाया है कि मलेशिया और थाईलैंड से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है और उन्होंने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है। आवेदकों ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात पर अंतरिम शुल्क लगाने की भी मांग की है।

क. विचाराधीन उत्पाद

- वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद "चिकित्सा जाँच रबर दस्ताने" है। यह एक प्रकार का व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) है जो चिकित्सा कर्मचारियों को संक्रामक एजेंटों के संचरण से बचाने के लिए मानक सावधानियों का हिस्सा है। इनका प्रयोग सामान्य जाँच और गैर-आक्रामक प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है।
- विचाराधीन उत्पाद नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर लेटेक्स या प्राकृतिक रबर लेटेक्स से बना है। रबर के दस्ताने के अन्य सभी प्रकार, जैसे सर्जिकल दस्ताने, औद्योगिक दस्ताने, और घरेलू दस्ताने जो बागवानी, सफाई आदि जैसे कार्यों में उपयोग किए जाने वाले पुनः प्रयोज्य दस्ताने हैं, विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर हैं।
- चिकित्सा जाँच रबर दस्ताने को उनके प्रयोग/अंतिम अनुप्रयोग, बाँझपन, गुणवत्ता मानकों/विनियमों, उनकी संरचना, मोटाई और डिज़ाइन के आधार पर अन्य दस्तानों से अलग किया जा सकता है। चिकित्सा जाँच रबर दस्ताने गैर-आक्रामक चिकित्सा प्रक्रियाओं से संबंधित चिकित्सा उपयोग के लिए अभिप्रेत हैं जिनमें नियमित शारीरिक जाँच, दवाइयाँ देना और बाहरी शरीर के संपर्क से जुड़े कार्य शामिल हैं। इसके अलावा, इनका उपयोग रासायनिक निर्माण और प्रयोगशालाओं, दवा निर्माण, आतिथ्य क्षेत्र, खाद्य प्रसंस्करण, एयरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि जैसे उद्योगों में भी किया जा सकता है।
- चिकित्सा जाँच रबर के दस्ताने सर्जिकल दस्तानों से भिन्न होते हैं। चिकित्सा जाँच रबर के दस्ताने आमतौर पर गैर-कीटाणुरहित होते हैं, जबकि सर्जिकल दस्ताने आमतौर पर शरीर के आंतरिक ऊतकों के संपर्क के लिए कीटाणुरहित बनाए जाते हैं। चिकित्सा जाँच रबर के दस्ताने आईएस 15354 मानकों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, जबकि सर्जिकल दस्तानों का उत्पादन सर्जिकल अनुप्रयोगों के लिए आईएस 13422/एएसटीएम डी 3577 या ईएन 455-2 जैसे कड़े अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए किया जाता है। चिकित्सा जाँच रबर के दस्ताने आमतौर पर दोनों हाथों के होते हैं और उनकी मोटाई अनुप्रयोग पर निर्भर करती है, लेकिन यह आईएस मानकों के अनुरूप होती है, जबकि सर्जिकल दस्तानों को अधिक सटीकता और आराम के लिए संरचनात्मक रूप से डिज़ाइन किया जाता है।
- संबद्ध सामान को सीमा प्रशुल्क अधिनियम की अनुसूची I के उपशीर्ष 4015 12 00 के तहत अध्याय 40 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, संबद्ध सामानों का आयात कोड 40151100, 40151900, 40159030, और 40159099 के अंतर्गत भी किया जा रहा है। सीमा प्रशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक हैं और वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं हैं।
- विचाराधीन उत्पाद के लिए माप की इकाई संख्या है (जैसा कि उत्पाद आमतौर पर दोनों हाथों पर उपयोग किया जाता है, "जोड़े" में अंकित), माप की इकाई संख्याएँ हैं।
- वर्तमान जाँच में हितबद्ध पक्षकार, इस जाँच की शुरुआत के तीस (30) दिनों के भीतर, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन, यदि कोई हो, पर साक्ष्य सहित अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

- आवेदकों ने दावा किया है कि संबद्ध सामान, जिनका भारत में पाटन किया गया है और निर्यात किया गया है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामानों के समान हैं। पाटन आयातित सामानों और घरेलू स्तर पर उत्पादित संबद्ध सामानों तथा आवेदकों द्वारा निर्मित विचाराधीन उत्पाद की तकनीकी विशिष्टताओं, गुणवत्ता, कार्यों या अंतिम प्रयोगों में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए, नियमावली के

अंतर्गत इन्हें 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। अतः, वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ, आवेदकों द्वारा भारत में उत्पादित संबद्ध सामानों को संबद्ध देशों से आयात की जा रही संबद्ध सामानों के समान वस्तु माना जा रहा है।

ग. संबद्ध देश

9. वर्तमान जाँच में संबद्ध देश मलेशिया और थाईलैंड हैं।

घ. जाँच की अवधि

10. वर्तमान जाँच के लिए जाँच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 (12 महीने) है और क्षति जाँच की अवधि 1 अप्रैल 2021- 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 - 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 - 31 मार्च 2024 और जाँच की अवधि अवधि शामिल होगी।

ड. घरेलू उद्योग और आधार

11. यह आवेदन-पत्र मेसर्स नवको इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स वाडी सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। संबद्ध सामानों के तीन अन्य ज्ञात उत्पादक हैं, अर्थात् मेसर्स कूव आईओटी प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स लैट्राइल ग्लव्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स टेगामेन सेफ्टी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड हैं। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार, आवेदक कंपनियों का उत्पादन भारत में समान वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख अनुपात है। आवेदकों ने अनुरोध किया है कि उन्होंने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक या उत्पादक या भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबद्ध हैं। इसके मद्देनजर, उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी ने नियम 2(ख) के अभिप्राय से आवेदकों को घरेलू उद्योग माना है और साथ ही नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को भी पूरा करते हैं।

च. कथित पाटन का आधार

क. सामान्य मूल्य

12. घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन-पत्र उल्लेख किया है कि संबद्ध देशों के घरेलू बाजारों में संबद्ध उत्पाद की कीमत का प्रमाण प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, आवेदक कंपनियों ने संबद्ध देशों में उन कीमतों पर विश्वास किया है, जिन पर वे ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर बेचे जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदक कंपनियों ने भारत में उत्पादन लागत, बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ को जोड़ने के बाद, संबद्ध देशों में सामान्य मूल्य भी निर्धारित किया है।
13. जाँच शुरू करने के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ को जोड़ने के बाद भारत में उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

ख. निर्यात कीमत

14. आवेदकों ने जाँच की अवधि के लिए समर्पित वर्गीकरण के अंतर्गत रिपोर्ट किए गए आयातों के लिए गौण स्रोत आँकड़ों के अनुसार आयातों की मात्रा और मूल्य पर विचार करके संबद्ध देशों के लिए निर्यात मूल्य कीमत निर्धारित की है। जाँच शुरू करने के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के लेन-देन-वार आँकड़ों पर विचार किया है। समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, बंदरगाह और अंतर्देशीय मालभाड़ा व्यय, गौण पैकेजिंग, ऋण लागत, मालसूची वहन लागत के निमित्त कारखानागत आयात कीमत निकालने के लिए विचार किया गया है।

ग. पाटन मार्जिन

15. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानागत स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया पता चलता है कि पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से ऊपर है, बल्कि काफी भी है।

16. प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों को संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है।

घ. निर्यातकों का नमूनाकरण

17. संबद्ध देशों से बड़ी संख्या में निर्यातक उत्पादकों की संभावित भागीदारी को देखते हुए, आवेदकों ने निर्यातकों के नमूने लेने का अनुरोध किया है। निर्धारित समय-सीमा के भीतर जाँच पूरी करने के लिए, और नियमावली के नियम 17 के अनुसार, प्राधिकारी नमूनाकरण का सहारा ले सकते हैं, अर्थात् चयन के समय उपलब्ध सूचना के आधार पर सांख्यिकीय रूप से मान्य नमूनों का प्रयोग करके, अपने जाँच परिणामों को या तो हितबद्ध पक्षकारों या सामानों की उचित संख्या तक सीमित कर सकते हैं, या संबद्ध देशों से निर्यात की मात्रा के अधिकतम प्रतिशत तक सीमित कर सकते हैं।

छ. क्षति और कारणात्मक संपर्क का साक्ष्य

18. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। आवेदकों ने पाटित आयातों के कारण उन्हें हुई क्षति के संबंध में पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। जांच की अवधि में संबद्ध देशों से आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं और घरेलू उद्योग की कीमतों पर न्यूनीकरण प्रभाव डाल रहे हैं, जिससे कीमत वृद्धि रुक रही है। यद्यपि घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री, स्थापित क्षमता और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है, फिर भी क्षमता उपयोग अभी भी उप-इष्टतम बना हुआ है। घरेलू उद्योग को घाटा हुआ है और निवेश पर नकारात्मक आय हुई है। बाजार में पर्याप्त मांग के बावजूद जांच की अवधि में मालसूची का स्तर भी बढ़ा है।
19. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

20. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से दायर विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र के आधार पर, तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, जो संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के पाटन, वास्तविक मंदी के रूप में घरेलू उद्योग को क्षति तथा ऐसे पाटित आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क को प्रमाणित करता है, तथा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने के लिए और पाटनरोधी शुल्क की उचित राशि, जो यदि लगाई जाए और घरेलू उद्योग को क्षति समान करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं।

झ. प्रक्रिया

21. इस जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

22. सभी पत्र प्राधिकारी को dd19-dgtr@gov.in और dd18-dgtr@gov.in पर ईमेल के द्वारा भेजे जाने चाहिए जिसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@nic.in को भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का व्याख्यात्मक भाग खोजने योग्य पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में है और डाटा फाइलें एमएस-एक्सल फॉर्मेट में हैं। फाइलों तक पहुंच के लिए विशेष साफ़वेयर की अपेक्षा वाले अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

23. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, संबद्ध देशों की सरकारों को भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से और भारत में आयातकों तथा प्रयोक्ताओं, जो संबद्ध सामानों से जुड़े हुए जाने जाते हैं, को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित स्वरूप और तरीके से सभी संगत सूचनाएं दे सकें। सभी सूचनाएं इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में निर्धारित स्वरूप और तरीके में, पाटनरोधी नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं के अनुसार दायर की जानी चाहिए।
24. कोई भी अन्य हितबद्ध पक्षकार नीचे निर्धारित समय-सीमाओं के भीतर निर्धारित स्वरूप और तरीके में वर्तमान जांच से संगत अनुरोध भी कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वह उसका अगोपनीय रूपांतर अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराए।
25. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in/>) को नियमित रूप से देखते रहें ताकि वे जांच से संबंधित सूचना और आगे की प्रक्रियाओं से अद्यतन और अवगत रहें।

ट. समय सीमा

26. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पतों dd19-dgtr@gov.in और dd18-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए और जिसकी एक प्रति adv11-dgtr@gov.in और consultan-dgtr@govcontractor.in को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए। यदि कोई सूचना निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमावली के अनुसार अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं।
27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) सूचित करें और इस अधिसूचना की उपर्युक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।
28. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोधों को दायर करने के लिए अतिरिक्त समय चाहता है, तो उसे पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे विस्तार के लिए पर्याप्त कारण दर्शाने चाहिए और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आना चाहिए।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

29. जहां कोई पक्षकार कोई गोपनीय अनुरोध करता है अथवा प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर सूचना देता है, वहां उस पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वे नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार उस सूचना का अगोपनीय रूपांतर साथ-साथ प्रस्तुत करें। इसका अनुपालन न किए जाने पर उत्तर/अनुरोध रद्द किए जा सकते हैं।
30. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तरों सहित कोई भी अनुरोध करने वाला पक्षकार (परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय रूपांतर अलग-अलग प्रस्तुत करने होंगे। यदि अनुरोध कई भागों में किया जाता है, तो प्रत्येक भाग में एक अनुक्रमणिका तालिका प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है जिसमें संलग्न सभी भागों/ईमेल और दस्तावेजों की विषय-वस्तु का उल्लेख हो। कृपया सभी अनुरोधों पर पृष्ठ संख्या सुनिश्चित करें।
31. जहां मूल दस्तावेज अंग्रेजी या हिंदी के अलावा किसी अन्य भाषा में हैं, वहां हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि मूल दस्तावेजों के साथ सही अनूदित रूपांतर उपलब्ध कराएं।

32. यह अनुरोध प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर “गोपनीय” अथवा “अगोपनीय” चिह्नित होने चाहिए। प्राधिकारी को ऐसे चिह्नों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध “अगोपनीय” सूचना माना जाएगा, और प्राधिकारी उन अनुरोधों का निरीक्षण करने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
33. गोपनीय रूपांतर में वह सभी सूचनाएं निहित होंगी जो स्वभावतः गोपनीय हो, और/या अन्य सूचना, जिसके बारे में ऐसी सूचना का प्रदाता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी सूचना जिसके स्वभावतः गोपनीय होने का दावा किया जाता है, या जिस सूचना की गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया जाता है, उसके लिए सूचना प्रदाता को दी गई सूचना के साथ एक उचित कारण विवरण भी प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी सूचना को प्रकट क्यों नहीं किया जा सकता।
34. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचीबद्ध या ब्लैकड आउट दिया जाना चाहिए (जहां सूचीकरण संभव नहीं है) और ऐसी सूचना को उचित और पर्याप्त रूप से संक्षेपित किया जाना चाहिए, जो उस सूचना पर निर्भर करता है, जिसके संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया है।
35. अगोपनीय सार में पर्याप्त विवरण होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझा जा सके। तथापि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह दर्शा सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तथा प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए नियमावली, 1995 के नियम 7 के अनुसार पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण सहित कारणों का विवरण तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं, कि ऐसा सार प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं है, प्रदान किया जाना चाहिए।
36. अन्य हितबद्ध पक्षकार, अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर के परिचालित होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर, हितबद्ध पक्षकार द्वारा दायर अनुरोध में दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
37. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच के संबंध में गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या रद्द कर सकते हैं, यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं हैं या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या तो इच्छुक नहीं है या सामान्य रूप में उसके प्रकटन को अधिकृत नहीं करना चाहता है या सार रूप में नहीं देना चाहता है तो वे उस सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
38. सार्थक अगोपनीय रूपांतर के बिना या पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के अनुसार उचित कारण विवरण के बिना तथा गोपनीयता के दावे पर प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार नोटिस के बिना किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
39. प्राधिकारी, प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट और स्वीकार होने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

40. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोधों/उत्तरों/सूचना का अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें। अनुरोधों/उत्तरों/सूचना का अगोपनीय रूपांतर परिचालित न करने पर, किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।

ढ. असहयोग

41. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर या प्राधिकारी द्वारा इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना नहीं देता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जो वे उचित समझें।

सिद्धार्थ महाजन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th September, 2025

Case No. AD (OI) – 38/2025

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Medical Examination Rubber Gloves” originating in or exported from Malaysia and Thailand

F. No. 6/43/2025-DGTR.--Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping duty on Dumped Articles for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Rules" or the "Anti-dumping Rules"), M/s. Navco Industries Pvt. Ltd. and M/s. Wadi Surgical Pvt. Ltd. have filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of "Medical Examination of Rubber Gloves" (hereinafter referred to as "product under consideration" or "PUC" or "subject goods"), originating in or exported from Malaysia and Thailand (hereinafter referred to as "subject countries").

The Applicants have alleged that dumped imports of the subject goods from Malaysia and Thailand are causing injury to the domestic industry and has requested the imposition of anti-dumping duties on the import of the subject goods from the subject countries. The applicants have also sought interim duties on imports of subject goods from subject countries.

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

1. The product under consideration in the present investigation is “Medical Examination Rubber Gloves”. It is a type of personal protective equipment (PPE) that is part of standard precautions to protect medical staff from transmission of infectious agents. They are used for general examination and non-invasive procedures.
2. The product under consideration is made out of nitrile butadiene rubber latex or natural rubber latex. All other forms of rubber gloves, such as surgical gloves, industrial gloves, and household gloves which are reusable gloves used in applications such as gardening, cleaning, etc., and vinyl gloves are specifically excluded from the scope of product under consideration.
3. Medical Examination Rubber Gloves can be differentiated from other gloves on the basis of their use/end application, sterility, quality standards/ regulations, their composition, thickness and design. Medical Examination Rubber Gloves are intended for medical use involving non-invasive medical procedures that include routine physical examinations, administering medications and tasks that involve contact with the outer body. Further, they can also be used across industries like chemical manufacturing and labs, pharmaceutical works, hospitality sector, food processing, aerospace, electronics etc.

4. Medical Examination Rubber Gloves are different from surgical gloves. Medical Examination Rubber Gloves are usually non-sterile while surgical gloves are usually sterile made for contact with the internal body tissues. Medical Examination Rubber Gloves are made to meet IS 15354 standards whereas surgical gloves are produced to meet stricter international standards such as IS13422/ASTM D3577 or EN 455-2 for surgical applications. Medical Examination Rubber Gloves are usually ambidextrous and their thickness depends upon the application but is in conformity with the IS Standards while surgical gloves are anatomically designed for more precision and comfort.
5. The subject goods are classified under Chapter 40 under subheading 4015 12 00 of Schedule I to the Customs Tariff Act. However, subject goods are also being imported under codes 40151100, 40151900, 40159030, and 40159099. The customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the PUC in the present investigation.
6. The unit of measurement for product under consideration is numbers.
7. Interested parties in the present investigation may provide their comments, duly substantiated with evidence, on the scope of the product under consideration and PCNs, if any, within thirty (30) days of initiation of this investigation.

B. LIKE ARTICLE

8. The Applicants have claimed that the subject goods, which are dumped and exported to India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no known differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods and the product under consideration manufactured by the Applicants. The two are technically and commercially substitutable and hence, should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the Applicants in India are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

C. SUBJECT COUNTRIES

9. The subject countries in the present investigation are Malaysia and Thailand.

D. PERIOD OF INVESTIGATION

10. The period of investigation (POI) for the present investigation is 1st April 2024 to 31st March 2025 (12 months) and the injury investigation period will cover the periods 1st April 2021- 31st March 2022, 1st April 2022 - 31st March 2023, 1st April 2023 - 31st March 2024, and the POI.

E. DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

11. The application has been filed by M/s. Navco Industries Private Limited and M/s. Wadi Surgical Private Limited. There are three other known producers of subject goods namely, M/s. Koove IOT Pvt. Ltd., M/s. Latrile Gloves Pvt. Ltd., and M/s. Tegamen Safety Products Pvt. Ltd.. As per the information available on record, the production of the Applicant companies accounts for a major proportion of the total domestic production of the like article in India. The Applicants have submitted that they have neither imported the subject goods from the subject countries nor are related to any exporter or producer of subject goods in the subject countries or any importer of the PUC in India. In view of the same, on the basis of information available, the Authority has considered the Applicants as Domestic Industry within the meaning of the Rule 2(b) and also satisfying the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

F. BASIS OF ALLEGED DUMPING

a. Normal Value

12. The domestic industry has stated in its application that efforts have been made to get evidence of price of

product concerned in the domestic markets of the subject countries. To determine the normal value, the applicant companies have relied on the prices at which the subject goods are being sold on the e-commerce websites in the subject countries. Additionally, the Applicant companies have also determined normal value in the subject countries considering the cost of production in India, after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits.

13. For the purpose of initiation, the Authority has considered normal value based on cost of production in India after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits.

b. Export Price

14. The Applicants have determined the export price for the subject countries by considering the volume and value of imports as per secondary source data for imports reported under the dedicated classification for the period of investigation. For the purposes of the initiation, the Authority has considered DG Systems data. Adjustments on account of ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port & inland freight expenses, secondary packaging, credit costs, inventory carrying costs have been made to the ex-factory import price.

c. Dumping Margin

15. The normal value and export price have been compared at ex-factory level, which *prima facie* shows that dumping margin is not only above de-minimis level but also significant.
16. There is sufficient *prima facie* evidence that the subject goods from the subject countries are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries.

d. Sampling of exporters

17. In view of the potential participation of a large number of exporting producers from the subject countries, the applicants have requested for sampling of exporters. In order to complete the investigation within the prescribed time limits, and in terms of Rule 17 of the Rules, the Authority may resort to sampling i.e., limiting its findings either to a reasonable number of interested parties or articles by using statistically valid samples based on information available at the time of selection or to the largest percentage of the volume of exports from the subject countries.

G. EVIDENCE OF INJURY AND CAUSAL LINK

18. Information furnished by the domestic industry has been considered for the assessment of injury to the domestic industry. The applicants have provided sufficient *prima facie* evidence with respect to the injury suffered by it because of dumped imports. The imports from subject countries have increased significantly in the POI. The subject imports are undercutting the prices of the domestic industry and have had a suppressing effect on the prices of the domestic industry preventing price increase. While the production, sales, installed capacity, and capacity utilization of the domestic industry has increased; the capacity utilization still remains sub-optimal. The domestic industry has incurred losses and negative ROI. The level of inventories has also increased in the POI despite sufficient demand in the market.
19. The Authority notes that there is sufficient *prima facie* evidence of injury being caused to the domestic industry due to dumped imports from the subject countries.

H. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

20. On the basis of the duly substantiated application filed by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the applicants, substantiating dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence,

degree and effect of any alleged dumping in respect of the subject goods originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which is levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. PROCEDURE

21. Principles, as stated under Rule 6 of the AD Rules, shall be followed for the present investigation.

J. SUBMISSION OF INFORMATION

22. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses dd19-dgtr@gov.in and dd18-dgtr@gov.in with a copy to adv11-dgtr@gov.in and consultant-dgtr@govcontractor.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS-Word format and data files are in MS-Excel format. Submissions requiring special software to access the files will not be accepted.
23. The known producers/ exporters in the subject countries, the government of the subject countries through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limits set out below. All such information must be filed in the form and manner prescribed by this initiation notification, the AD Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
24. Any other interested party may also make submission relevant to the present investigation in the form and manner prescribed within the time limits set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non- confidential version of the same available to the other parties.
25. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (<https://www.dgtr.gov.in/>) to stay updated and apprised with the information as well further processes related to the investigation.

K. TIME LIMIT

26. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at email addresses dd19-dgtr@gov.in and dd18-dgtr@gov.in with a copy to adv11-dgtr@gov.in and consultant-dgtr@govcontractor.in within thirty (30) days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
27. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.
28. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the AD Rules and such request must come within the time stipulated in this notification.

L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

29. Any party making confidential submission or providing information on a confidential basis before the Authority is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same information in terms of Rule 7(2) of the AD Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.

30. The parties making any submissions (including appendices/annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire responses, are required to file confidential and non-confidential versions separately. In case the submission is made in multiple parts, it is instructed to provide an index table in each part outlining the contents of all parts/emails and documents enclosed. Please ensure page numbering on all submissions.
31. Where the original documents are in a language other than English or Hindi, the interested parties are requested to ensure that the true translated version is provided along with the original documents.
32. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
33. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
34. The non-confidential version of the information filed by the interested parties is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarised depending upon the information on which confidentiality is claimed.
35. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the AD rules and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
36. The interested parties can offer their comments on the issue of confidentiality claimed by the other interested parties within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.
37. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information.
38. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement in terms of Rule 7 of the AD Rules and appropriate trade notices issued by the Authority on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
39. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

M. INSPECTION OF PUBLIC FILE

40. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR’s website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions/responses/information to all other

interested parties. Failure to circulate non-confidential version of the submissions/responses/information might lead to consideration of an interested party as non-cooperative.

N. NON-COOPERATION

41. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority